तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुखराज बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 186/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी पुखराज, पता खाबड़ा खुद्र तहसील औसियां ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.09.20 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय में सूचना दिनांक 12.06.2020 रजि. नं. RR987687749IN IVR8282987687749 भेजकर मांगी गई थी। उक्त सूचना प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपील के संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) प्रेषित किया गया,उसकी प्रति संलग्न की है जबकि अपील उपखण्ड अधिकारी लूणी के विरूद्ध पेश की गई है। अतः अपील अस्पष्ट है फिर भी न्यायहित में लोक सूचना अधिकारी ([illegible] अधिकारी लूणी/ अपर जिला कलक्टर जोधपुर) को निर्देशित [illegible] है कि जिस किसी कार्यालय से संबंधित सूचना हो [illegible] उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने [illegible] अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पा[illegible]र्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.16 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested